संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/77

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 22 मार्च, 2021

विषय: पुनरीक्षित/प्रारम्भिक प्रयोजना के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन, औचित्य परीक्षण व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014, शासनादेश संख्या 1/2014/बी-2-2800/दस-2014-10/77, दिनाँक 24 सितम्बर, 2014, शासनादेश संख्या 19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77, दिनाँक 19 अक्टूबर, 2015, शासनादेश संख्या 12/2018/बी-2-856/दस-2018-10/77, दिनाँक 15 जून, 2018 तथा शासनादेश संख्या 14/2018/बी-2-898/दस-2018-10/77, दिनाँक 23 जुलाई, 2018 द्वारा प्रयोजना के मूल्यांकन व अनुमोदन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। यह संज्ञान में आया है कि प्रयोजनाओं के प्रारम्भिक आगणन तथ्यों/वास्तविक स्थिति पर आधारित न होने के कारण प्रायः उनके पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है।

2- अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूपये 25 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के आगणन के सम्बन्ध में उपरिअंकित शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित व्यवस्था के साथ-साथ निम्नवत् कार्यवाही की जाय:-

(1) भवन निर्माण सम्बन्धी ऐसे समस्त प्रस्ताव, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा कुर्सी क्षेत्रफल पर आधारित दरों पर गठित किये जायें, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि स्थल की वास्तविक आवश्यकता तथा मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर समस्त विवरण को प्रारम्भिक प्रयोजना में सम्मिलित करके ही प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। निर्माण स्थल के Latitude एवं Longitude इंगित करते हुये Google image एवं स्थल के 360° Identification की स्थिति को भी प्रयोजना प्रस्ताव में इंगित किया जाय।

(2) किसी भी प्रकार की प्रयोजना के प्रारम्भिक आगणन के गठन के समय यदि यह परिलक्षित होता है कि स्थल की आवश्यकता के अनुसार मिट्टी भराई आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी भराई हेतु 'व्यय वित्त समिति' द्वारा पूर्व में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त निर्माण स्थल के कन्टूर प्लान के साथ-साथ थ्री डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज अवश्य संलग्न की जाय।

(3) समस्त प्रयोजनायें, जो कि प्रशासकीय विभागों द्वारा 'व्यय वित्त समिति' के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायं, उनकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) गठित कर ही प्रस्तुत किया जाय। अपरिहार्य कारणोंवश यदि प्रारम्भिक आगणन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है तो प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था का यह दायित्व होगा कि किसी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त उसकी डी.पी.आर. गठित करने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रयोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए तीन माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(4) पी.एफ.ए.डी. द्वारा रू0 25.00 करोड़ तक लागत की प्रयोजनाओं का मूल्यांकन अधिकतम 07 कार्य दिवसों तथा रू0 25.00 करोड़ से अधिक लागत की प्रयोजनाओं का मूल्यांकन अधिकतम 15 कार्य दिवसों में किया जायेगा।

(5) वित्त विभाग में ई-आफिस प्रणाली लागू हो जाने के दृष्टिगत सभी विभागों द्वारा रू0 25.00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव/आगणन वित्त विभाग के माध्यम से पी.एफ.ए.डी. को डिजिटली प्रेषित किये जायेंगे। पी.एफ.ए.डी. द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति में डिजिटली प्रस्तुत किया जायेगा तथा मूल्यांकन रिपोर्ट भी संबंधित विभाग को डिजिटली प्रेषित की जायेगी।

(6) किसी प्रस्ताव को प्रेषित करने के पूर्व विभाग द्वारा उसका विधिवत परीक्षण विभागीय स्तर पर करने तथा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही उसे पी.एफ.ए.डी. को प्रेषित करने सम्बन्धी कार्यवाही की जाये। यदि विभाग में तकनीकी परीक्षण हेतु कोई कमेटी गठित है तो कमेटी के परीक्षण/अनुमोदन के पश्चात् ही विभाग द्वारा उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पी.एफ.ए.डी. को अग्रसारित/सन्दर्भित किया जाना अनिवार्य होगा। विभागों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में प्रयोजना से संबंधित बजट प्रावधान/उपलब्धता का उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा।

भवदीया,

एस. राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या- 10/2021/बी-2- 96/दस-2021-10/77, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. निदेशक, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in